Need to include Bhojpuri language in the 8th Schedule to the Constitution

श्री सुनील कुमार **(**वाल्मीकि नगर**) :** सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह मांग लंबे समय से चली आ रही है । भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य जगहों पर 90 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है । इसकी जड़ें मगधी और प्राकृत में भी हैं और इसका गहरा भाषाई और सांस्कृतिक महत्व है । इस भाषा को नेपाल में मान्यता प्राप्त है, लेकिन भारत में अभी भी इसे संवैधानिक मान्यता मिलने का इंतजार है । हालांकि इसके संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने से भारत की समावेशिता और मजबूत होगी तथा इसको बोलने वालों में अपनेपन की भावना भी बढ़ेगी ।

इसीलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में उचित दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस भाषा को बोलने वाले लाखों लोगों को संवैधानिक ढांचे में प्रतिनिधित्व मिले और उनको इसमें शामिल होने का गौरव भी प्राप्त हो ।